रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232082 CG-DL-E-23122021-232082

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4950] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2021/पौष 2, 1943 No. 4950] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2021/PAUSA 2, 1943

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5341(अ).—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा एक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है:--

श्री जी. सी. चतुर्वेदी	अध्यक्ष	केंद्र सरकार द्वारा नामित
पी-2, प्लॉट नं. सी-58/6,		
गौरव अधिकारी सोसाइटी अपार्टमेंट,		
सैक्टर 62, नोएडा		
यूपी-201309		
श्री पी. ए. बालासुब्रमणियन	सदस्य	केंद्र सरकार द्वारा नामित
16, जीवन अक्षय सीएचएसएल,		
प्लॉट 188, सैक्टर 6, चारकोप,		
कांदिवली वेस्ट,		
मुम्बई-400067		

7472 GI/2021 (1)

श्री के. के. मिश्रा	सदस्य	केंद्र सरकार द्वारा नामित
ए-2002, 20वां तल,		
एवलॉन सीएचएस,		
हीरानंदानी गार्डेन्स,		
पवई, मुम्बई-400076		
श्री राजेश डालमिया	सदस्य	परिषद द्वारा नामित
ए 1003, रनवाल सिम्फनी,		
वकोला पाइपलाइन रोड,		
सांताक्रूज ईस्ट		
मुम्बई-400055		
सुश्री हेमा मालिनी रामाकृष्णनन	सदस्य	परिषद द्वारा नामित
101, रेनेसां सूर्या अपॉर्टमेंट्स,		
5वां मेन,		
बीटीडब्ल्यू 9वां और 11वां क्रॉस,		
माल्लेश्वरम,		
बेंगलूरू-560003		

- 2. उल्लेख किए गए पद अंशकालिक प्रवृत्ति के हैं एवं अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा। गुणवत्ता समीक्षा के लिए गठित बोर्ड की बैठक की प्रक्रिया, उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, पारिश्रमिक और भत्ता, बीमांकक गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (बैठकों की प्रक्रिया तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्ते एवं भत्ता) नियम, 2008 के अनुसार होंगे।
- 3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम-18013/07/2012-बीमा-I (खण्ड-II)]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 5341(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government, hereby, constitutes a Quality Review Board, consisting of the following persons, namely:—

Shri G. C. Chaturvedi	Chairperson	Nominated by the Central Government
P-2, Plot No. C-58/6,		
Gaurav Adhikari Society Apartment,		
Sector 62, Noida		
UP-201 309		
Shri P. A. Balasubramanian	Member	Nominated by the Central Government
16, Jeevan Akshay CHSL,		
Plot 188, Sector 6, Charkop, Kandivali west,		
Mumbai-400 067		

Shri K. K. Mishra	Member	Nominated by the Central Government
A-2002, 20 th Floor,		
AVALON CHS,		
Hiranandani Gardens,		
Powai, Mumbai-400076		
Shri Rajesh Dalmia	Member	Nominated by the Council
A1003, Runwal Symphony,		
Vakola Pipelinee Road,		
Santacruz East		
Mumbai-400 055		
Ms. Hema Malini Ramakrishnan	Member	Nominated by the Council
101, Renaissance Surya Apartments, 5 th Main,		
Btw 9 th and 11 th Cross,		
Malleswaram,		
Bengaluru-560 003		

- 2. Mentioned posts are part-time in nature and tenure of the Chairperson and members shall be three years from the date of assumption of charge, or until further orders, whichever is earlier. The procedure of the meetings of the Quality Review Board and terms and conditions of service of the Chairperson and the Members of the said Board and their remuneration and allowances shall be as per the Actuaries Quality Review Board (Procedure for Meetings and the Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members) Rules, 2008.
- 3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M-18013/07/2012-Ins.-I (Volume-II)]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.